

कार्यालय नगर परिषद चित्तौड़गढ़

क्रमांक :- न.प.चि/कच्ची बस्ती/उ.सू./2022-23/ 4218-23

दिनांक :- 11/7/22

उजरदारी सूचना-21

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत निम्नांकित आवेदको द्वारा 15 अगस्त 2009 से पूर्व के अतिक्रमण पर मौकानुसार निर्मित मकान को नियमन कर पट्टा चाहने हेतु आवेदन नगर परिषद में प्रस्तुत किया है इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह इस उजरदारी प्रकाशन के 7 दिवस में मय सबूत/रेकार्ड के साथ स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का एतराज काबिल समायित नही होगा। सूची निम्नानुसार है।

क्र. सं.	अतिक्रमी का नाम	कच्ची बस्ती का नाम	भूखण्ड क्षेत्रफल मौकानुसार (वर्गफीट में)
1	श्री राजमल हरिजन पिता श्री प्यार चन्द्र हरिजन	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	970.625 वर्गफीट
2	श्री साबीर हुसैन पिता श्री गुलशेर हुसैन	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	868 वर्गफीट
3	श्री नारायण लाल प्रजापत पिता श्री देवी लाल	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	980 वर्गफीट
4	श्रीमती हेमा कंवर पति श्री भंवर सिंह राणा	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	984.75 वर्गफीट
5	श्री कन्हैया लाल मारु पिता श्री भारमल मारु	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	987 वर्गफीट
6	श्रीमती सुशीला हरिजन पति श्री रमेश हरिजन	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	977.5 वर्गफीट
7	श्रीमती मन्जु देवी हरिजन पति श्री पुनम चन्द्र	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	984.06 वर्गफीट
8	श्री राजु नायक पिता श्री भगवान रघुवंशी	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	984.06 वर्गफीट
9	श्रीमती मन्जु देवी प्रजापत पति श्री रमेश चन्द्र	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	513.04 वर्गफीट
10	श्री मुन्ना खाँ पिता श्री हकिम खाँ	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	901.875 वर्गफीट
11	श्री विनोद सिंह पिता श्री रणजीत सिंह	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	360 वर्गफीट
12	श्री शंकर लाल हरिजन पिता श्री सुवा लाल हरिजन	खनिज विभाग के सामने गांधीनगर कच्ची बस्ती	678.5 वर्गफीट

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़

दिनांक :- 11/7/22

क्रमांक :- न.प.चि/कच्ची बस्ती/उ.सू./2022-23/ 4218-23
प्रतिलिपि :-

1. जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्था हेतु।
2. कार्यालय उपखण्ड/तहसील/नगर परिषद नोटिस बोर्ड पर चस्था हेतु।
3. विज्ञापन शाखा नगर परिषद को भेजकर उक्त उजरदारी सूचना को 1 राज्य स्तरीय (चित्तौड़गढ़ संस्करण) अखबार में प्रकाशन कराये जाने बाबत्।

आयुक्त

नगर परिषद चित्तौड़गढ़